मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5600
26.07.2019 को उत्तर के लिए

समुद्र तटों पर एकत्रित अपशिष्ट

5600. श्रीमती अन्नपुर्णा देवी :
श्री सदाशिव किसान लोखंडे :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय समुद्र तटों पर जमा होने वाले कचरे और अपशिष्ट की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए इस कचरे का उपयोग किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कचरे को किस प्रकार निपटाया जा रहा है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रशासित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी किए गए नियमों/अधिसूचनाओं का निर्धारित अधिकार-क्षेत्र समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक है। हिंद महासागर पश्चिम में अफ्रीकी तथा मध्य पूर्व के देशों, मेडागास्कर से ईरान तक और हिंद महासागर के उत्तर में दक्षिण एशिया तक भारत सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के देश तथा पूर्व में आस्ट्रेलिया हैं। भारत में समुद्र तटों पर अपशिष्ट या कचरा जमा हो जाता है जो महासागरीय हवाओं और लहरों दोनों के कारण घरेलू स्रोतों और हिंद महासागर में अवस्थित अन्य देशों से निकलता है। हिंद महासागर क्षेत्र में कचरे या अपशिष्ट की सफाई करने में क्षेत्र के सभी देशों द्वारा सम्मिलित प्रयास किए जाते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास भारतीय तट रेखा में संचित अपशिष्ट से संबंधित कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

विशेष रूप से प्लास्टिक अपशिष्ट के कारण, समुद्री कचरे की समस्या का निराकरण करने के उद्देश्य से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 14 मई, 2019 को भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों से हितधारकों को शामिल करके एक संचालन समिति का गठन किया गया है। इस समिति को अन्य कार्यों के अलावा, सुदृढ़ अपशिष्ट प्रबंधन, समुद्री प्लास्टिक कचरे की पुन:प्राप्ति, अभिनव प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों के उपयोग, जन शिक्षा और पहुंच तथा राष्ट्रीय क्षमताओं के संवर्धन हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल देते हुए संवर्धनात्मक उपायों पर केन्द्रित नीति, आयोजना, अनुसंधान और विकास के संबंध में केन्द्र सरकार को सलाह देने का कार्य सौंपा गया है। समिति को अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों और सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ द्विपक्षीय/बहुपक्षीय प्रयासों को समन्वित करने का कार्य तथा भारत सरकार द्वारा समुद्री कचरे के संबंध में यूएनईए, एएचओईडब्ल्यूजी, आइएमओ, जी20 आदि सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय/बहुपक्षीय मंचों में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।

भारत 'मारपोल कन्वेंशन' का सदस्य देश है जिसमें जहाजों के प्रचालनात्मक तथा दुर्घटनागत कारणों से समुद्री पर्यावरण के प्रदूषण का निवारण करना शामिल है। भारत दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (एसएसीईपी) का भी सदस्य है जो समुद्री प्लास्टिक और सूक्ष्म प्लास्टिक सहित समुद्री कचरे तथा समुद्री प्लास्टिक सहित समुद्री कचरे के सीमापारीय संचलन को नियंत्रित करने हेतु एक डेटा बेस तैयार कर रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एसएसीईपी, यूएनईपी, एसएएस और भारतीय तट रक्षक के सहयोग से एक स्वच्छ और साफ-सुथरे समुद्र-तट तथा इसके कचरे के सुरक्षित निपटान की आवश्यकता के संबंध में जनता को शिक्षित करने और जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से भारत के विभिन्न हिस्सों में 'इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे' भी आयोजित किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा भारतीय तट रक्षक के सहयोग से जून, 2018 में व्यापक तटीय स्वच्छता अभियान भी चलाया है।

*****